



न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर केम्प उज्जैन म० प्र०

PBR/ निगरानी/रतलाम/श्रु-रा/2017/1929

7

1 मांगीलाल पिता मानसिंहजी जाति गुर्जर
निवासी ग्राम दाहखेडा तहसील जावरा जिला रतलाम
म० प्र० — प्रार्थी

बनाम

1 तहसील जावरा जिला रतलाम म० प्र०
2 हबीब पिता सरदारखॉ जाति मुसलमान उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम दाहखेडा तहसील जावरा जिला रतलाम
म० प्र० — प्रतिप्रार्थी

श्रीमान् उज्जैन
प्र० प्राप्त
3
21/6/17

रिवीजन धारा 50 म० प्र० भु० रा० सहिता 1959

रिवीजन बनाराजगी न्यायालय तहसील जावरा के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 54अ12/15-16 दिनांक 30/12/2016 हबीबखॉ निवासी दाहखेडा तहसील जावरा जिला रतलाम से असतुष्ट होकर निम्नानुसार रिवीजन प्रस्तुत है !

मान्यार महोदय

प्रार्थी कि और से निम्नानुसार रिवीजन पेश है !

प्रार्थी अभिभाषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 15-7-17

गु. नं. प्र. 20

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन 15.6.17

यह कि प्रतिप्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय मे सीमांकन प्रोसीडीग मे प्रत्र राजस्व निरीक्षक को दिया जोकि प्रोसीडीग मे (प्रथम प्रोसीडीग) मे दिनांक अंकित नही है ! नह सीमांकन किये जाने कि निर्धारित अवधि (प्रथम प्रोसीडीग) मे दिनांक अंकित नही है ! अर्थात दिनांक का कालम रिक्त है ! तथा उसी दिनांक (अर्थात एक हि दिन) मे आवेदन आदेश सीमांकन प्रतिवेदन बनावटी रूप से प्रस्तुत किये गये तथा प्रार्थी व प्रडोसी कृषक को सुचना प्रत्र जारी नही किया गया नाही उनको तलब किया गया नाही प्रार्थी व पडोसी कृषक की उपस्थिती मे सीमांकन किया गया !

2 यह कि प्रतिप्रार्थी ने भुमी सर्वे कमांक 115, 133/2, 135/2 रकबा कमशः 2.77, 0.11, 0.20 कुल तीन सर्वे कमांक का सीमांकन आवेदन प्रत्र मे सीमांकन किये जाने का उल्लेख है !

निरतर/2/

मांगीलाल

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

1929

रतलम

प्रकरण क्रमांक - PBR (नि/रतलम) 2011/11/1929 जिला - ग्वालियर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.12.19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी... नहदीलडम... के प्रकरण क्रमांक 54/31-12-15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-12-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलकत्ता, रतलम को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक... 14.10.17 को कलकत्ता, रतलम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	